प्रकरण संख्या–10/2016 तारीख रजु–20.07.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

कौशल चंद पुत्र ओमप्रकाश आयु 42 साल जाति महाजन निवासी स्टेडियम के पास, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 973 निर्णय दिनांक 28.02.2002 पटवार हल्का 8 तहसील करौली जिला करौली

निर्णय

दिनांक–27.06.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट् द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट की मिल्कियत व खातेदारी की आराजी खसरा नंबरान 658 रकबा 4 विस्वा, 1359 रकबा 7 विस्वा, 1318/1 रकबा 7 विस्वा, 1316/1 रकबा 8 विस्वा, 1360 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा व 1319/1 रकबा 1 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 8 तहसील व जिला करौली में प्रार्थी अपीलाण्ट का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा है व प्रार्थी की मिल्कियत के इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज हैं। अपीलाण्ट ने दिनांक 29.01.2002 के दिवस उक्त भूमि साबिक मालिक जमनालाल वगै. से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और उक्त वयनामे का नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 के दिवस तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किया गया है और मुताबिक नामांतरकरण अपीलाण्ट व सहखातेदारान के इन्द्राज जमाबंदी में अंकित किये हैं। नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 में मुताबिक वयनामा नामांतरकरण भरे जाते वक्त प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम सहवन से कौशलचंद के स्थान पर कैलाश चंद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया है। अपीलाण्ट का नाम रिकॉर्ड में कौशलचंद है। वयनामा की प्रति संलग्न है। अपीललाण्ट को दिनांक 05.07.16 को जमाबंदी नकल निकलवाने पर प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त अंकन की जानकारी होने पर दिनांक 11.07.16 को नामांतरकरण की नकल आवेदन प्रस्तुत करने दिनांक 13.07.2016 को नामांतरकरण की नकल प्राप्त होने से अपील अंदर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2008 में कैलाशचंद के स्थान पर कौशलचंद नाम संशोधन करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 तलब कर शाामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या–10 / 2016 तारीख रजु–20.07.2016

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट की मिल्कियत, कब्जे व खातेदारी की आराजी खसरा नंबरान 658 रकबा 4 विस्वा, 1359 रकबा 7 विस्वा, 1318 / 1 रकबा 7 विस्वा, 1316 / 1 रकबा 8 विस्वा, 1360 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा व 1319 / 1 रकबा 1 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 8 तहसील व जिला करौली को दिनांक 29.01.2002 के दिवस उक्त भूमि के साबिक मालिक जमनालाल वगै. से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है व मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी का उक्त भूमि में हिस्सा है। उक्त वयनामे का नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 के दिवस तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किया गया है और मुताबिक नामांतरकरण अपीलाण्ट व सहखातेदारान के इन्द्राज जमाबंदी में अंकित किये हैं। नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 में मुताबिक वयनामा नामांतरकरण भरे जाते वक्त प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम सहवन से कौशलचंद के स्थान पर कैलाश चंद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया है। अपीलाण्ट का नाम रिकॉर्ड में कौशलचंद है। वयनामा की प्रति संलग्न है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2008 में कैलाशचंद के स्थान पर कौशलचंद नाम संशोधन करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि नामांतरकरण में सहवन से कौशलचंद के स्थान पर कैलाश चंद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया है। अपील स्वीकार किये जाने में रेस्पोण्डेण्ट सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक एल.आर. / 18 / 2017 दिनांक 25.06.2018 से अवगत कराया है कि विक्रय पत्र की जांच की गई जिसमें कौशलचंद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है जबकि नामांतरकरण में कैलाश चंद पुत्र ओमप्रकाश की प्रविष्ठि है जो गलत है। विक्रय पत्र के अनुसार कौशलचंद पुत्र ओमप्रकाश की दर्ज किया जाना चाहिये था।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। वयनामे के आधार पर नामांतरकरण में कौशलचंद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज किया जाना चाहिये था जिसके स्थान पर सहवन से कैलाश चंद दर्ज हो गया है जिसे संशोधित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 973 दिनांक 28.02.2002 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 8 तहसील व जिला करौली का निरस्त किया जाता है तथा इस नामांतरकरण में अपीलाण्ट कैलाश चंद पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन के स्थान पर कौशलचंद पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06..2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली